न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 09 / 2025

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
बीरमाराम पुत्र रामकरण जति मेघवाल निवासी सांजू तहसील सांजू जिला नागौर।		1 तहसीलदार सांजू। 2 अमराराम पुत्र रामकरण 3 बुधाराम पुत्र रामकरण 4 शांति देवी पुत्री रामकरण 5 सुमन देवी पुत्री रामकरण 6 नारायणराम पुत्र रामकरण समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण सांजू तहसील सांजू जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री वैभव सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से।
3. श्री मनोज जाखड अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 03 से 06 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.03.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सांजू द्वारा मौजा सांजू के नामान्तरकरण सं. 1415 निर्णय दिनांक 21.06.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.01.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 30.01.2025 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट संख्या 03 से 06 की ओर से श्री मनोज जाखड अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा सांजू के नामान्तरकरण संख्या 2276 की फोटोप्रति, मौजा सांजू के नामान्तरकरण संख्या 1415 की फोटोप्रति, मौजा सांजू की जमाबंदी सम्वत् 2067–76 की फोटोप्रति, मौजा सांजू के खसरा नक्शा एवं जमाबंदी की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि हाल खेत खसरा नम्बर 522 मौजा सांजू नामान्तरण संख्या 1415 दिनांक 21.06.24 को भरा गया जिसकी जानकारी नहीं हो सकी। क्योंकि अपीलांट एक अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से उक्त नामान्तरण की जानकारी नहीं हो सकी तथा बाद में अपीलांट द्वारा दिनांक 18.01.2025 को नकले निकलवाने पर उक्त नामान्तरण की जानकारी हुई। जो जानकारी की तारीख से अन्दर मयाद है एवं बाद अधिवक्ता से सलाह मसुरा कर अन्य दस्तावेज प्राप्त किये गये एवं जानकारी की तारीख से अन्दर मयाद होने से अपील को अन्दर मयाद सुमार किया जावे। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण रेवेन्यू रेकर्ड के विरूद्व होने से नामान्तरण आदेश जैर अपील खारिज करने योग्य है।

{2}(II)– रेकर्ड में भूमि जब अपीलांट की माता ने जब खरीदी व नामान्तरण खसरा नम्बर 522 / 42 रकबा 0.02.01 हैक्टयर दर्ज हुआ। जिसकी पुष्टि बेचान रेजिस्ट्री व नामान्तरण से भली भांति होती है। परंतु दिनांक 21.06.2024 को नामान्तरकण संख्या 1415 में रकबा 0.0162 हैक्टयर दर्ज कर दिया जो रेकर्ड के विपरीत होने से तहसीलदार सांजू द्वारा कम भूमि कर नामान्तरण करने से नामान्तरण जैर अपील खारिज करने योग्य है।

{2}(III)–रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकण कम रकबा का दर्ज करने के कारण अपीलांट की खातेदारी में कम भूमि दर्ज हो जाने से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 6 को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में नामान्तरण निरस्त करना न्याय संगत है।

07/3/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)– अपील प्रस्तुत करने के समय रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 हाजिर नहीं होने से उन्हे औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 से 6 ने अपीलांट की बहस का समर्थन किया।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सांजू द्वारा मौजा सांजू के नामान्तरकरण सं. 1415 निर्णय दिनांक 21.06.2024 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट की माता के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2276 एवं विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1415 के रकबा में भिन्नता प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1415 दिनांक 21.06.24 स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित दस्तावेजों की संपूर्ण जानकारी/जांच किये बिना नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) सांजू द्वारा मौजा सांजू के नामान्तरकरण सं. 1415 निर्णय दिनांक 21.06.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/3/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर